

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्रतिष्ठकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 97] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 1972/पृष्ठ 10, 1894
No. 97] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 1972/CHAITRA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1972

G.S.R. 216(E).—In pursuance of clause 3 of the Fertiliser (Control) Order, 1957 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) No. G.S.R. 1600, dated the 22nd October, 1971, the Central Government hereby fixes, with immediate effect, the price specified in column (2) of the Schedule annexed hereto as the maximum retail price per tonne, at which the fertiliser specified in the corresponding entry in column (1) of the said Schedule shall be sold to the tea, coffee or rubber plantations or to the cultivators.

THE SCHEDULE

Name of the fertiliser	Maximum retail price per tonne
1	2
	Rs.
1. Ammonium Sulphate :—	
(i) When packed in 100 kg. bags	549
(ii) When packed in 50 kg. bags	560
2. Urea (46 per cent. nitrogen)	959
3. Urea (Coated) (45 per cent. nitrogen)	940
4. Calcium Ammonium Nitrate (25 per cent. nitrogen)	565
5. Calcium Ammonium Nitrate (26 per cent. nitrogen)	594

Explanation.—The maximum prices specified above shall be exclusive of the Central Sales Tax, Local Sales Tax or other local taxes wherever levied, whether at the retail sale point or at any intermediate stage.

NOTE.—When sales of any fertiliser are made in quantities not exceeding 5 kilograms at a time, the dealer may charge one paise per kilogram in addition to the proportionate maximum price specified above.

[No. 16-15/70-MPRSTU]

S. M. H. BURNEY, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1972

सांकांति० 216(ई).—उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के खण्ड 3 के अनुसरण में और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या सांकांति० 1600 तारीख 22 अक्तूबर, 1971 को अधिकांत करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तुरन्त प्रभावी रूप से, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट कीमत को प्रति टन अधिकतम फुटकर कीमत, जिस पर उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उर्वरक चाय, काफी या रबड़ बागानों या खेतिहरों को विक्रय किया जा सकेगा, नियत करती है ।

अनुसूची.

उर्वरक का नाम	प्रति टन अधिकतम फुटकर कीमत
1	2
1. अलमोनियम सल्फेट :—	४०
(1) जब 100 किलोग्राम के थैलों में भरी हो	549
(2) जब 50 किलोग्राम के थैलों में भरी हो	560
2. यूरिया (46 प्रतिशत नाइट्रोजन)	959
3. यूरिया (लेपित) (45 प्रतिशत नाइट्रोजन)	940
4. कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (25 प्रतिशत नाइट्रोजन)	565
5. कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (25 प्रतिशत नाइट्रोजन)	594

स्पष्टीकरण :—उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत में केन्द्रीय विक्रय कर, स्थानीय विक्रय कर या अन्य स्थानीय कर, भले ही किसी फुटकर विक्रय स्थल पर या अन्य किसी मध्यवर्ती स्थिति में जहां कहीं भी उद्ग्रहीत हो, सम्मिलित नहीं होगा ।

टिप्पण : पांच किलोग्राम से अनधिक मात्रा में किसी एक समय में किसी उर्वरक के विक्रय किये जाने की स्थिति में व्यवहारी उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के अनुपात में एक पैसा प्रति किलोग्राम अधिक ले सकेगा ।

[सं० 16-15/70 एम. पी. आर. एस. टी. यू.]

से० मु० हु० बर्नी, संयुक्त सचिव ।